दिनांक 03.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 03/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 सेन्ट्रो कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 03.05.2024 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विझाना जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–दिलावर सहित अभियुक्त 2–दिलशाद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 सेन्ट्रो कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिलावर थाना बुढाना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त दिलावर के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–दिलावर निवासी ग्राम परासौली थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

2–दिलशाद निवासी पत्थरगढ थाना सिनौली जनपद पानीपत, हरियाणा।

बरामदगी

1–01 सेन्ट्रो कार।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद महोबा/थाना कुलपहाड़

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण**
- **लूट के 10 हजार 950 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 02/03.05.2024 को थाना कुलपहाड़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुढ़ारी की ओर से बेलाताल रोड पर 02 अभियुक्तों 1–मंगल 2–प्रदीप को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर सतारी मउपुरा रेलवे क्रासिंग के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 3–देवेन्द्र 4–नरेन्द्र घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण, लूट के 10 हजार 950 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कुलपहाड़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कुलपहाड़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण व रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मंगल निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा।

2—प्रदीप निवासी ग्राम इन्द्रहटा थाना अजनर जनपद महोबा।

3—देवेन्द्र निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा।

4—नरेन्द्र निवासी ग्राम नगाराडांग थाना अजनर जनपद महोबा।

<u>बरामदगी</u>

1—भारी मात्रा में लूटे गये सोने—चॉदी के आभूषण।

2—लूट के 10 हजार 950 रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

4—04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद</u>

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के नगद रूपये, आधार कार्ड बरामद**

दिनांक 03.05.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनकटिया चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुन्ना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के नगद रूपये, आधार कार्ड बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुन्ना निवासी बेलसर थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज।

बरामदगी

1–लूट के नगद रूपये, आधार कार्ड।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 4 करोड़ रूपये कीमत के चोरी के मोबाइल टावर के 51 रेडियो रिसिवर, 08 बैट्री, 30 ड्यूप्लेक्सर, 02 इन्डोर यूनिट, 03 बेस बैन्ड यूनिट, 01 आउटर यूनिट, ग्राइन्डर मशीन की 01 बैट्री, 03 प्लेट आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार (बिना नम्बर), 01 टाटा मैजिक बरामद**

दिनांक 03.05.2024 को क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नन्दग्राम क्षेत्र से 06 अभियुक्तों 1–कैफ मलिक 2–सुमित 3–राहुल 4–शुएब 5–सुहेल 6–वसीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 4 करोड़ रूपये कीमत के चोरी के मोबाइल टावर के 51 रेडियो रिसिवर, 08 बैट्री, 30 ड्यूप्लेक्सर, 02 इन्डोर यूनिट, 03 बेस बैन्ड यूनिट, 01 आउटर यूनिट, ग्राइन्डर मशीन की 01 बैट्री, 03 प्लेट आदि, घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार (बिना नम्बर), 01 टाटा मैजिक बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुहेल, वसीम के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानो में 11–11 अभियोग, अभियुक्त कैफ मलिक, सुमित के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में 03–03 अभियोग एवं अभियुक्त राहुल, व शुएब के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में 02–02 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रेडियो रिसिवर, बैट्री, ड्यूप्लेक्सर आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—कैफ मलिक निवासी बी—451 गली नम्बर—04 मुस्तफाबाद दिल्ली।

2—सुमित निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चाँदी नगर जनपद बागपत।

3—राहुल निवासी ग्राम ताँसीपुर थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

4—शुएब निवासी बी—129 गली नम्बर—04 मुस्तफाबाद दिल्ली।

5—सुहेल निवासी ग्राम डाहर थाना सरूरपुर जनपद मेरठ, गली नं0—03 मुस्तफाबाद दिल्ली।

6—वसीम निवासी पठानान कस्बाव थाना मुरादनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 4 करोड़ रूपये कीमत के चोरी के मोबाइल टावर के 51 रेडियो रिसिवर, 08 बैट्री, 30 ड्यूप्लेक्सर, 02 इन्डोर यूनिट, 03 बेस बैन्ड यूनिट, 01 आउटर यूनिट, ग्राइन्डर मशीन की 01 बैट्री, 03 प्लेट आदि।

2—घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार (बिना नम्बर), 01 टाटा मैजिक।

<u>जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 04 हजार 400 रूपये नगद**
- **लगभग 06 लाख 30 हजार रूपये कीमत के 01 किलो 230 ग्राम अवैध चरस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.05.2024 को थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बालाछत्तरपुल के पास से अभियुक्त उमेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के माल बिक्री के 04 हजार 400 रूपये नगद, लगभग 06 लाख 30 हजार रूपये कीमत के 01 किलो 230 ग्राम अवैध चरस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद महराजगंज, संतकबीरनगर, गोरखपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रामकोला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उमेश निवासी ग्राम महुअई महुआ थाना श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 04 हजार 400 रूपये नगद।

2–लगभग 06 लाख 30 हजार रूपये कीमत के 01 किलो 230 ग्राम अवैध चरस।

3–01 मोटर साइकिल।

- **जनपद चित्रकूट/थाना बरगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–धरमराज 2–समरजीत 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना मारहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10/05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त राजकुमार को धारा 506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता को धारा 363/120बी भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शहाजहाँपुर/थाना काटँ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शहाजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शहाजहाँपुर द्वारा थाना काटँ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 457/376/354ख/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संजीव को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलाने का प्रलोभन देकर सैकड़ो लोगों से ठगी करने वाले संगठित गिरोह के 02 अभियुक्त कानपुर नगर से गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 03–05–2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा गरीब जनता के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिलाने हेतु डूडा आफिस लखनऊ का अधिकारी बन कालकर, वाट्सएप काल के माध्यम से उनके अभिलेख मंगाकर सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले संगठित गिरोह के 02 अभियुक्तों को कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1– प्रदीप सिंह उर्फ काला पुत्र विनोद सिंह निवासी राम नगर थाना रेउना जनपद कानपुर नगर।

2– सनी सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी राम नगर थाना रेउना जनपद कानपुर नगर।

<u>बरामदगी–</u>

1– 02 अदद मोबाइल फोन।

2– 02 अदद कूटरचित वोटर आईडी।

3– 02 अदद मोटरसाइकिल।

4– रूपये 2,650/– नकद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–</u>

स्थान– थाना क्षेत्र रेउना, कानपुर नगर दिनांक 03–05–2024 समय– 07:30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से भारत सरकार द्वारा गरीब जनता के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर डूडा अधिकारी बनकर ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा निरीक्षक संजय कुमार सिंह नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण में तकनीकी विशेषज्ञता एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 03–05–2024 को समय करीब 07:30 बजे उपरोक्त संगठित गिरोह के 02 अभियुक्तों को थाना क्षेत्र रेउना कानपुर नगर से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है। यह लोग आम आदमी की कूटरचित आईडी बनाकर सिम कार्ड खरीदते है। भारत सरकार द्वारा गरीब जनता के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिलाने हेतु डूडा आफिस लखनऊ का अधिकारी बनकर उन्ही मोबाइल नम्बरों से सीरियल नम्बरों पर काल करके लोगों को अपने जाल में फंसाकर, वाट्सएप के माध्यम से उनके अभिलेख मंगाते हैं। गैंग की महिलाओं के माध्यम से उन लोगों की आईडी पर नया बैंक खाता खुलवा लेते है। उन बैंक खातों में एसएमएस एलर्ट मोबाइल नम्बर के रूप में अपना मोबाइल नम्बर डलवा देते है व उसी एसएमएस एलर्ट नम्बर से यूपीआई आईडी बना लेते है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए लोगों से क्रमशः रजिस्ट्रेशन के नाम पर, इसके बाद बैंक मैनेजर बनकर फाइल चार्ज के रूप में, फिर बैंक खाते में लो बैलेंस होने की बात कहकर लो बैलेंस मेन्टीनेंस चार्ज के रूप में रूपये फर्जी बैंक खातों में धोखे से डलवा लेते है। यदि ठगी का शिकार हुए व्यक्ति को शक होने पर

वह अपना पैसा वापस मांगता है तो उसको बताते है कि आपकी फाइल का जो खर्च आया है वह जमा कर दो तो आपका पैसा वापस कर दिया जायेगा। इसी तरह कई प्रकार के बहाने बताकर ठगी करते है। दिन भर में 4 से 6 लोगों को झांसा देकर 50 से 60 हजार रूपये तक की ठगी कर लेते है। यह लोग लगभग 20 बैंक खातों में ठगी का पैसा मंगाते है, जिसको यूपीआई व एटीएम के माध्यम से तत्काल निकाल लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना रेउना, कमिश्नरेट कानपुर नगर में मु0अ0सं0 70/2024 धारा 34/419/420/467/468/471 भादवि एवं 66 डी सूचना प्रद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम–2008 का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———–––